

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE HUNDRED RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GR 800346

(प्रारूप 'अ')

शपथ पत्र

हम अशरफ जमाल सिद्दीकी (नाम अध्यक्ष) अशरफ जमाल सिद्दीकी एवं (नाम सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता)

इसके अलावा सचिव, भोपाल, पंजाब, बिक्रमपुर, नगर, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सपथपूर्वक निम्नानुक्त बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा A.B. Pharmacy (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता) D.Pharmacy जिल्लोना इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम से ही अशरफ जमाल सिद्दीकी (नाम) जहाँ पर भूमि स्थित है) में गाटा संख्या 839 एवं रकबा 0.3120 कर्मरा एवं हेक्टेयर (कुल रकबा हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 839 एवं रकबा क्रमशः एवं हेक्टेयर (कुल रकबा 0.3120 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 16/07/23 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु गवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शों के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के सपक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित गवनों को ही निरीक्षण समिति के सपक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मरी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रदेश समता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

Rajesh Kumar Gupta, Advocate "NOTARY", KAMNAUJ U.P. Rep. No. 7010712023, 31/07/2023

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित पवनों में फार्मसी कालन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद, स0प्र0 लखनऊरो राबद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न हो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जावेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी कालन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सब प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का गंभीरतापूर्वक पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थानीय निरीक्षण में गानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्यक्ता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।



ह0 सचिव
Kishan Singh

ह0 अध्यक्ष
AK

Subscribed and sworn to before me on this 31st day of 31-8-2023 between the hours of 10:30 AM to 11:30 AM by Shri. Arshad Jamal So. So. Jamaluddin So. who has heard and understood its contents. Witnessed by P. D. B.

Rajesh Kumar Gupta
Advocate NOTARY KASGANJ

31-8-2023